न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 53/2019

1–रामकुमार पुत्र गुगनराम
2–विनोद कुमार पुत्र श्री गुगनराम
समस्त जाति अग्रवाल निवासी नांवा, तहसील नावा जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1.–पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री वी.पी.सिंह राठौड़ व नेमीचन्द शर्मा अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से ।

अपील विरूद्ध निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा तहसीलदार बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का, नांवा बनाम रामकुमार वगै, मु0सं0 27/19 निर्णय दिनांक : 05.07.2019 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट का निरस्त करने बाबत।

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :29.01.2021

{1} –मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार नांवा द्वारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 27/2019 सरकार बनाम रामकुमार वगै0 में निर्णय दिनांक 05.07.2019के तहत मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नं0 01 रकबा 2.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील भूमि पर नमक क्यार व ट्यूबबैल बनाकर व पूर्व में भी सम्वत 2074 में अतिक्रमण करने पर अप्रार्थी के खिलाफ भौतिक रूप से बेदखली व शास्ति तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी होने से अप्रार्थी के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

तहत अप्रार्थी को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया तथा भौतिक रूप से बेदखली का तथा लगान दर से 400 रू0 अक्षरे चार सौ रू0 की शास्ती आरोपित की गयी। उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर दिनांक 10.07.2019 को अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.07.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधिनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में विक्रय पत्र की फोटो प्रति, अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय 05.07.2019 की फोटोप्रति, अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 28/2019 सरकार बनाम प्रदीप कुमार शाह के फर्द अहकाम दिनांक 17.06.2019 से 05.07.2019 की फोटोप्रति,पटवारी हल्का नावां की रिपोर्ट की फोटोप्रति, फर्द बेदखली की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, गिरफतारी वारण्ट की फोटोप्रति, व अपीलार्थी के इलाज की पर्चीयॉ पेश की गयी।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है किः–

{2}(1) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) –यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2019 को जारी नोटिस दिनांक 02.07.2019 की पेशी हेतु जारी किया गया । उक्त नोटिस अपीलार्थी को कभी नहीं मिला एवं उक्त नोटिस पर अपीलार्थी का स्थायी पता ग्राम गोविन्दी तहसील नांवा पर जारी किया गया नोटिस की तामिल मनोज पुत्र नरसी द्वारा तामिल मानकर एक पक्षीय आदेश पारित किये जो विधि व न्याय के विरूद्ध है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2}(3) – यह है कि पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जॉच किये ही अपीलार्थी की वादित भूमि पर कब्जा मानकर 91 की जो कार्यवाही की है।, वह कार्यवाही नियम विरूद्ध होने से काबिले निरस्त हैं

{2}(4) – यह है कि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तरीके से नहीं दी गई एवंम न ही अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की लेस मात्र जानकारी ही थी। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी दैनिक अखबार द्वारा दिनांक 06.07.2019 को ही प्राप्त हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त आलौच्य निर्णय की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रखकर केवल राजनैतिक द्वैषता वशं निर्णय किया है, जो काबीले निरस्त है।

{2}(5) – यह है कि अपीलार्थीगण के नाम जितनी भूमि की लीजडीड जारी की हुई है, उससे अधिक या कसी भी सरकारी भूमि पर एक ईन्च भूमि पर अतिकमण नहीं कर रखा है। मौके पर अपीलार्थी का आज भी संबंधित कार्यालय में जारी नक्शा के अनुसार ही आज भी है। मगर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जानकारी व बिना किसी विधिक कार्यवाही किये ही एक पक्षीय निर्णय कर दिया, जिससे भी यह स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(6) – यह है कि अपीलार्थीगण को उक्त प्ररकण के अलावा सम्वत् 2074 या कभी अतिक्रमण बाबत न तो नोटिस ही दिया, न ही अपीलार्थी ने कसी सरकारी भूमि पर ही अतिक्रमण किया था या है एवं पश्चातवर्ती निर्णय की पत्रावली भी उक्त पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इसलिए अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है एवं उक्त प्रकरण संबंधि कोई भी दस्तावेज उक्त पत्रावली में भी नहीं है। जिससे भी यह अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(7) – यह है कि उक्त प्रकरण में पत्रावली में कभी भी बहस हेतु नियत नही की गयी एवं ऑडरशीट में बहस अन्तिम कभी भी नहीं लिखा हुआ है।जिससे स्पष्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक द्वेषता वंश उक्त निर्णय किया जो काबिले निरस्त है।

{2}(8) –यह है कि परिवादी हल्का पटवारी ने अपने परिवाद के समर्थन में बयान अवश्य लिखे है, मगर पटवारी हल्का ने बयान किस तारीख को एवम किस धारा में तथा उक्त बयान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा कोई भी दस्तावेज का कानूनन कोई महत्व नहीं हैं जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

{2}(9) – यह है कि अपीलार्थी विनोद कुमार के नाम झील क्षैत्र के आस–पास कोइ भूमि राजस्व रेकर्ड नहीं है इसलिए अपीलार्थी द्वारा सरकारी भमि कब्जा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जिससे भी यह अपील काबिले स्वीकार होने योग्य है।

{2}(10) – यह है कि अपीलार्थी रामकुमार के नाम सम्पूर्ण विधि अनुसार कार्यवाही कर खसरा नम्बर 102 रकबा 54.5 हैक्टेयर जरिये लीज डीड की है।, इस भूमि के अलावा अपीलार्थीने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। जिससे यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

{2}(11) यह है कि अपीलार्थी रामकुमार वृद्ध व बीमार व्यक्ति है, जिसके बाईपास सर्जरी द्वारा हाट का ऑपरेशन किया हुआ है, जिसके आज भी निरन्तर ईलाज चल रहा हैं।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नांवा की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भ0अ0निरीक्षक नावां द्वारा कि गयी, जिसके अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम साभंर झील, नावां के खसरा नम्बर 1 रकबा 2.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार, व ट्यूबवैल बनाकर अतिक्रमण किया है,तथा पूर्व मे भी सम्वत 2074 से अतिक्रमण करना पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका 02.07.19 के अवलोकन से साबित होता है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद तामील होने के उपरान्त भी अनुपस्थित होना अभिलेख से साबित होता है। उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि है जिस पर किसी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता हे। अप्रार्थी ने 05.08.19 की पटवारी हल्का नावां की मौका बेदखली फर्द रिपोर्ट भी पेश की है, जिसके अनुसार मौके पर से अतिक्रमित रकबा से अतिकमी ने स्वयं कब्जा हटा लिया जाना अंकित किया है, जिससे हस्तगत सिवायचक भूमि को उसके द्वारा कब्जे राज भी ले लिया गया है। जिसमें 3 माह का सिविल कारावास भी दिया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट ने स्वयं राजकीय भूमि से स्वतः कब्जा हटा लिया जाने से सहानुभूतिपूर्वक 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित होने से अधिनस्थ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाना उचित है।

:::: आ दे श ::::

अपीलान्ट की अपील पर सहानुभुति पूर्वक विचार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 में दी गयी 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधिनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)